संख्या– 604 /अड़सठ–3–2020

प्रेषक,

आर0 वी0 सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई, 2020

विषयः–कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन एवं गीष्मावकाश की अवधि में मध्यान्ह भोजन योजना में कार्यरत रसोईयों के मानदेय भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–म0भो0प्रा0 / 676 / 2020–21, दिनांक–16.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन एवं गीष्मावकाश की अवधि में मध्यान्ह भोजन योजना में कार्यरत रसोईयों के मानदेय भुगतान तथा शैक्षिक सत्र में नामांकित छात्र / छात्राओं की संख्या के अनुसार रसोईयों की संख्या का पुर्ननिर्धारण एवं एवं नवीनीकरण / चयन के संबंध में मार्ग–दर्शन की अपेक्षा की गयी है।

2– उक्त संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया हैः–

(1) शासनादेश संख्या– संख्या–435(1) / 79–6–10, दिनांक–24 अप्रैल, 2010 के प्रस्तर–6 में दी गयी व्यवस्था रसोइयों की संख्या का पुर्ननिर्धारण एवं नवीनीकरण / चयन का कार्य कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत वर्तमान वित्तीय वर्ष (2020–21) के लिए स्थगित रखा जायेगा।

(2) वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यरत रसोइयों को कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यरत मानते हुए भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार 01 वर्ष में 10 माह का मानदेय भुगतान वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–5 / 2020 / बी–1–196 / 10–2020–231 / 2020, दिनांक–11.04.2020 के अनुसार किया जायेगा।

3– कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0 वी0 सिंह)
विशेष सचिव।